...यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 — 98 / 2023

अनवान : —

1. सुनिल कुमार पुत्र लिछमणराम पौत्र रूघाराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास, चिड़ीया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अनकौरी पुत्री रूघाराम पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी हाल आबाद निवासी तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)।
2. लिछमण पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासीगण सरदारपुराबास चिड़ीया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. केहरसिंह पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासीगण सरदारपुराबास चिड़ीया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. सरस्वती पुत्री रूघाराम पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी हाल आबाद भनीण तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. ईश्वर प्रसाद पुत्र दलीप जाति जाट निवासीगण हाल आबाद भनीण तहसील तारानगर जिला चुरू।
6. संतोष कुमार पुत्री दलीप जाति जाट निवासीगण हाल आबाद भनीण तहसील तारानगर जिला चुरू।
7. रोशनी पुत्री लिछमण जाति जाट निवासीगण सरदारपुराबास चिड़ीयागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. चन्द्रकला पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ीयागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. मेनका पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ीयागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. कृष्णा कुमार पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ीयागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. बाला पुत्री लिछमण जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ीयागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. पूजा पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ीयागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
13. जगतपाल पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास, चिड़ीयागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. समेस्ता पुत्री केहरसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास, चिड़ीयागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
16. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक

प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (ज़िला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:46:20 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री वंशीधर शर्मा **वादीगण**
श्री विरेन्द्र सिंह झोरड़ प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 17/07/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 88/82 के मुरब्बा नं0 45 की किला नं0 21, मु0न0 46 के किला नं0 21 ता 25, मु0न0 51 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 12 ता 15 नहरी, मु0न0 52 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 6, 9 ता 13, 15 ता 21, किला नं0 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0न0 53 के किला नं0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 13 ता 15, मु0 नु0 54 के किला नं0 1/1, 1/2, 10 कुल खसरे 59 की 11.6380है बारानी/नहरी कृषि भूमि में वादी के दादा रूघाराम, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3— 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 87/76 के मु0न0 51 के किला नं0 10, 11 मु0न0 52 के किला नं0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 8, 14 मु0न0 53 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 किला नं0 8 ता 12 कुल खसरे 22 की 4.0480है0 कृषि भूमि वादी के दादा रूघा पुत्र बुधा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादीगण अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:46:20 IST
Reason: Self Attested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 88/82 के मुरब्बा नं0 45 की किला नं0 21, मु0न0 46 के किला नं0 21 ता 25, मु0न0 51 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 12 ता 15 नहरी, मु0न0 52 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 6, 9 ता 13, 15 ता 21, किला नं0 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0न0 53 के किला नं0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 13 ता 15, मु0 नु0 54 के किला नं0 1/1, 1/2, 10 कुल खसरे 59 की 11.6380है बारानी/नहरी कृषि भूमि में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी के दादा रूघाराम, 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 87/76 के मु0न0 51 के किला नं0 10, 11 मु0न0 52 के किला नं0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 8, 14 मु0न0 53 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 किला नं0 8 ता 12 कुल खसरे 22 की 4.0480है0 कृषि भूमि वादी के दादा रूघा पुत्र बुधा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 3 केहरसिंह के पुत्र वेदप्रकाश का देहान्त हो चुका है और उसकी पत्नी सुष्मिता की शादी अन्यत्र की जा चूकी है और सुष्मिता ने अपना समस्त हक त्याग कर अपना सहमति पत्र अंकन करवा दिया है। वादी के दादा ने अपने हक व हिस्से में आई कृषि भूमि चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 88/82 व 87/76 को अपने दोनों पौत्रों को वादी व प्रतिवादी सं0 13 का 1/2–1/2 हिस्सा मौखिक बंटवारे के अनुसार सहमति दी थी। चूंकि वादी के दादा की मृत्यु दिनांक 29.06.2020 को हो चुकि है। उपरोक्त वाद भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष मे हक त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 88/82 के मुरब्बा नं0 45 की किला नं0 21, मु0न0 46 के किला नं0 21 ता 25, मु0न0 51 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 12 ता 15 मु0न0 52 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 6, 9 ता 13, 15 ता 21, किला नं0 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0न0 53 के किला नं0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 13 ता 15, मु0 नु0 54 के किला नं0 1/1, 1/2, 10 की कुल 11.6380है बारानी/नहरी कृषि भूमि में वादी के दादा रूघाराम, 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व इसी प्रकार चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 87/76 के मु0न0 51 के किला नं0 10, 11 मु0न0 52 के किला नं0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7, 8, 14 मु0न0 53 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 किला नं0 8 ता 12 की कुल 4.0480है0 कृषि भूमि वादी के दादा रूघा पुत्र बुधा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उक्त दोनों खातों में से रूघाराम/रूघा का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 13 को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:46:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17 [illegible] को लिखा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़